

26209/20




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP1122688147659S
Certificate Issued Date : 29-Oct-2020 12:03 PM
Account Reference : NONACC (BK)/ upbobbk02/ VRINDAWAN YOGNA/ UP-LKN
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPBOBBK0216271598614635S
Purchased by : AMRITA SINGH
Description of Document : Article 23 Conveyance
Property Description : FLAT NO E-702/3BHK/7 FLOOR, KAILASH ENCLAVE, SECTOR 18, VRINDAVAN YOJANA 4, LUCKNOW
Consideration Price (Rs.) : 36,45,103
 (Thirty Six Lakh Forty Five Thousand One Hundred And Three only)
First Party : UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD LUCKNOW
Second Party : AMRITA SINGH
Stamp Duty Paid By : AMRITA SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,45,300
 (Two Lakh Forty Five Thousand Three Hundred only)



Please write or type below this line



Amrita

क्रेता



Vikranta

विक्रेता

RS 0003069573

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

IS 15700:2005



सेवात्मक प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
प्रथम तल आफिस काम्पलेक्स सेक्टर-9
वृन्दावन योजना लखनऊ।

भारतीय मानक ब्यूरो

IS 15700



पत्रांक

/सं0प्र0 वृन्दावन/

दिनांक

सेवा मे,

श्रीमती अमृता सिंह

पत्नी श्री धनेन्द्र प्रताप सिंह

निवासी- म0न0-938, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल भुजौली कालोनी देवरिया

विषय:-कैलाश एन्क्लेव के 3BHK के फ्लैट सं0 E-702 के विक्रय विलेख के पंजीयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे सूचित करना है कि आपके पक्ष मे आंवटित फ्लैट सं0 E-702 का विक्रय विलेख रू0 245300.00 के स्टाम्प पेपर निष्पादित कर दिया गया है जो मूलरूप मे एवं एक छायाप्रति के साथ अन्य सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न कर इस आशय से दिया/भेजा जा रहा है कि कृपया 25 दिनों के अन्दर सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय मे उपस्थित होकर विलेख पंजीयन कराकर विलेख की एक प्रमाणित प्रति तीन दिवसों के अन्दर इस कार्यालय मे प्रस्तुत करे ताकि फ्लैट का कब्जा पत्र भौतिक कब्जे हेतु निर्गत किया जा सके जिससे परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(के0डी0शर्मा)

सम्पत्ति प्रबन्धक

पृष्ठ सं0 6889





/उक्त/

तद्दिनांक 28/11/2020

प्रतिलिपि:-

1-- रजिस्ट्रार कार्यालय, सरोजनी नगर, लखनऊ को उक्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सम्पत्ति प्रबन्धक

सिलसिले का नम्बर	बही	खण्ड	पृष्ठ	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	प्रस्तुतकर्ता निष्पादनकर्ता नाम व पता	पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटोग्राफ
1	2	3	4	5	6	7
					<p>क्रेता / प्रस्तुतकर्ता श्रीमती अमृता सिंहपत्नी श्री धनेन्द्र प्रताप सिंह म0न0-938, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल भुजौली कालोनी देवरिया</p>	 <i>Singh</i> क्रेता
					<p>विक्रेता सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ</p>	 क्रेता
					<p><i>Rahul Singh</i></p>	 विक्रेता
					<p><i>Siched</i> योजना सहायक उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ</p>	

विक्रय विलेख


यह विक्रय विलेख आज दिनांक 28 माह 11 वर्ष 2020 की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात "परिषद कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिणी है और सम्मिलित हैं।


एक पक्ष और श्रीमती अमृता सिंह पत्नी श्री धनेन्द्र प्रताप सिंह निवासी- M0न0-938, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल भुजौली कालोनी देवरिया जिसके एतद्पश्चात पंजीकृत इच्छुक क्रेता कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक क्रेता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि:-

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ में वृन्दावन योजना संख्या-4 नामक मुहल्ले के सेक्टर-18 में निर्मित कैलाश एन्क्लेव 3BHK का फ्लैट संख्या-E-702 का कुल मूल्य है और चूंकि उक्त परिषद ने रू० 3645103.00 (रू० छत्तीस लाख पैतालीस हजार एक सौ तीन मात्र) जिसका आधा रू० 1822551.50 (रू० अट्ठारह लाख बाईस हजार पांच सौ इक्यावन एवं पैसे पचास मात्र) होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त सम्पत्ति (संख्या E-702) को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित है।

(जिसे एतद्पश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तों के अधीन क्रय करने के लिए सहमत है अतएव रू० 3645103.00 (रू० छत्तीस लाख पैतालीस हजार एक सौ तीन मात्र) की धनराशि के प्रति फलस्वरूप एतद्द्वारा उक्त सम्पत्ति अर्थात् फ्लैट संख्या E-702 क्रेता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती है:-

- (1) परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतद्द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।
- (2) एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।
- (3) उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक क्रेता को प्रदत्त किया जाना है।
- (4) इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपनोग करेगा।


क्रेता

क्रमशः 2 पर

विक्रेता



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



अमृता सिंह
Amrita Singh
जन्म तिथि / DOB : 03/07/1988
महिला / FEMALE



3743 0967 3966

मेरा आधार, मेरी पहचान

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

AMRITA SINGH

GOPAL SINGH

03/07/1988

Permanent Account Number

BXGPS0952M

Amrita Singh

Signature



25062008

Amr



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:

Date: 7/21/2017
D/O गोपाल सिंह, वार्ड न १३ हाउस
न ९३८ भुजौली कॉलोनी, देवरिया,
उत्तर प्रदेश - 274001

Address

D/O Gopal Singh WARD n
13 HOUSE n 938 bhujauli
colony Deoria Deoria
Deoria Uttar Pradesh -
274001

3743 0967 3966



1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www
www.uidai.gov.in

P.O. Box No. 1947,
Bengaluru-560 001

UNION OF INDIA Driving Licence (UP) (NT)

UP35-20160006337

 जारी करने की तिथि Date of Issue 17/05/2016	वैधता / Validity 16/05/2036	 जन्म तिथि Date of Birth 10/02/1992
--	---------------------------------------	--

नाम / Name
RAHUL SINGH



पिता/पति का नाम / Son/Daughter/Wife of
RAJENDRA SINGH

Blood Group
Unknown

Rahul Singh


UP03965812MT

UP35 20160006337

 LMV 17/05/2016	 MCWG 17/05/2016
--	---

पता / Address
**BARA
 UNNAO**

Holder's Signature
Rahul


 जारीकर्ता / Issuing Authority Sign
UNNAO

Form 7 (Rule 16(2))



भारत सरकार
Unique Identification Authority of India

नामांकन क्रम / Enrollment No. 1207/00691/02129

To:
 गुलाम मोहम्मद
 Gulam Mohammad
 S/O Dargahl
 8a/541
 vrindavan yojana, avas vikas colony
 raibarelli road, lucknow
 UTHRATHIA
 Lucknow
 Uttar Pradesh 226025
 9450861463

Ref: 401 / 17B / 286920 / 286930 / P



U208840235ZIN



आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

4789 3222 6394

आधार — आम आदमी का अधिकार



~~भारत सरकार~~



गुलाम मोहम्मद
 Gulam Mohammad
 जन्म वर्ष / Year of Birth : 1961
 पुरुष / Male





4789 3222 6394

आधार — आम आदमी का अधिकार

7705003553
 2004

- (5) यदि क्रेता एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों के कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद क्रेता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।
- (6) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे उक्त परिषद द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों/प्लेटों और मकानों के इच्छुक क्रेताओं को पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन कय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय-समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-
- (क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक क्रेता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और क्रेता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।
- (ख) क्रेता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा।
- (7) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और क्रेता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ कय किया है कि क्रेता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा। और यह कि उक्त क्रेता उक्त परिषद की कालोनी में सड़को, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रतिकिसी अंशदान के लिए भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक क्रेता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (संख्या- E-702) पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को 13.5% की दर से ब्याज सहित पंजीकृत क्रेता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।
- (8) क्रेता उक्त सम्पत्ति का उपयोग आवासीय प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा/करेगी और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा/करेगी।
- (9) इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक क्रेता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति संख्या- E-702 स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि निर्माण या उसके बगल में स्थित भूमि/निर्माण में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जाये।
- (10) क्रेता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तों के अधीन होंगे।
- (11) क्रेता को फ्लेट्स का भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु रू० 3105.00 प्रति तीन माह " कार्पस फण्ड" में जमा करना होगा। कैलाश एन्क्लेव में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से 2 वर्ष के बाद मेन्टीनेन्स का कार्य आवंटियों की समिति को कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित हस्तगत करा दिया जायेगा। तत्पश्चात समिति द्वारा उक्त एन्क्लेव को अपने श्रोतो से करना होगा। निर्धारित रख-रखाव व्यय भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 2 वर्ष तक प्रति माह क्रेता को देना होगा। आवासीय समिति का सदस्य प्रत्येक क्रेता को बनना अनिवार्य होगा।



क्रेता


विक्रेता

क्रमशः 3 पर

- (12) सुपर एरिया पर रू० 1.10 प्रति वर्ग फुट प्रति माह की दर से सामान्य सेवाओं जैसे कैम्पस लाईट, सेक्योरिटी गार्ड, ट्यूबवेल आपरेशन, कम्युनिटी सेन्टर की देख-रेख, सफाई विद्युत बिल आदि के रख-रखाव हेतु प्रत्येक फ्लैट्स ओनर को प्रतिमाह अतिरिक्त देना होगा। जीना, बरामदा, पार्किंग स्थान, पार्क, सुरक्षा कर्मचारी, माली, जमादार आदि का वेतन एवं सीवर सिस्टम का रख-रखाव (एस०टी०पी०) एवं अन्य कामन नेचर की सेवाएँ आदि शामिल होगी।
- (13) नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगायें गये समस्त कर शुल्क गृहकर, जलकर आदि का भुगतान नियमानुसार क्रेता को अदा करना होगा।
- (14) योजना आवासीय योजना है अतः फ्लैट्स का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। क्रेता को फ्लैट्स में किसी भी प्रकार का निर्माण परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं विक्रय-विलेख को निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद के नियम, आदेश व निर्णय क्रेता पर प्रभावी होंगे।
- (15) सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी क्रेता विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्ट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।
- (16) क्रेता द्वारा विद्युत खण्ड, प्रथम, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ से निर्धारित वॉल्टेज औपचारिकतायें पूर्ण करके विद्युत कनेक्शन लिया जाना होगा। उक्त के अतिरिक्त दूरभाष एवं अन्य सर्विस कनेक्शन स्वयं के व्यय से लिया जा सकता है। परन्तु यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे कैलाश एन्क्लेव के वाह्य एवं स्थायी स्ट्रेक्चर पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े एवं इस हेतु परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
- (17) प्रत्येक क्रेता को फ्लैट के वाह्य मेन्टीनेंस, मरम्मत, पेन्टिंग, ट्यूबवेल मरम्मत, कामन एरिया की लाईट की मरम्मत एवं बदलाव सीवर, नाली, एस०टी०पी० एवं वाह्य विद्युतीकरण आदि के सम्बन्ध में जो व्यय आयेगा, वह क्रेताओं के मध्य विभाजित एवं देय होगा।
- (18) आवंटित क्षेत्रफल जैसे पार्किंग का स्थान स्वतन्त्र एरिया एशोसिएशन को हस्तान्तरित किया जायेगा तथा इस पर कोई भी निर्माण एवं परिवर्तन बिना विक्रेता परिषद की अनुमति के मान्य नहीं होगा।
- (19) क्लब, ओपेन एरिया, पार्किंग आदि कामन एरिया उ०प्र० अपार्टमेन्ट्स (परमोशन आफ कास्ट्रक्शन ओनर शिप एण्ड मेन्टीनेन्स एक्ट-2010) के अनुसार परिषद का रहेगा।
- (20) फ्लैट के हस्तान्तरित क्षेत्रफल में फ्लैट की चारों दिवारों से लगे हुए फ्लैट में दिवारों का आधा भाग फ्लैट में शामिल होगा।
- (21) पुस्तिका में असमावेशित रहगयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।
- (22) किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।
- (23) क्रेता द्वारा फ्लैट के विरुद्ध किये गये भुगतान का विवरण अनुसूची-क में है।
- (24) उक्त फ्लैट का विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र सेक्टर-18, वृन्दावन योजना सं०-4 लखनऊ।
- (25) सम्बन्धित भूमि के गाटा संख्या का महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोग, पाक, खुले स्थल हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल तथा महायोजना मार्ग होने के फलस्वरूप आवासीय भू-उपयोग है।
- (26) भू-उपयोग के विरुद्ध निर्माण किये जाने की दशा में ध्वस्तीकरण सहित समस्त विधिक कार्यवाही हेतु क्रेता उत्तरदायी होगा।


क्रेता

 कमशः 4 पर
विक्रेता